भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *281
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद

***281. श्री काली चरण सिंहः**
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत कुल पदों की तुलना में वर्तमान में कितने प्रतिशत पद भरे गए हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए कितने भर्ती अभियान चलाए गए हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल कितने नवनियुक्त स्वास्थ्य पेशेवर हैं; और

(घ) देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए अभिनव उपायों का विशेषकर झारखंड और सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

08 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 281 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुल 1,451 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,101 अधिकारी कार्यरत हैं, जो स्वीकृत पद संख्या का लगभग 75.88% है।

(ख) से (घ): रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक संवर्ग और उप-संवर्ग की आवश्यकता के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और अन्य भर्ती एजेंसियों को अधियाचनाएँ भेजी जाती हैं।

यूपीएससी विभिन्न उप-संवर्गों में विभिन्न पदों पर चयन के लिए संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (सीएमएसई) और साक्षात्कार आयोजित करता है। अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची इस मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके पश्चात, अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी होने पर, केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों में अपने संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध के साथ चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य सेवा पदों को भरने के लिए यूपीएससी, एसएससी, एनओआरसीईटी आदि के माध्यम से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया गया है।

मिशन भर्ती के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2024-2025 में मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों में 8796 रिक्तियों को भरा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में अब तक मिशन भर्ती के अंतर्गत 1678 रिक्तियों को भरा गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने संबद्ध स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. रिक्त पदों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सामान्य तौर पर रोजगार समाचार और सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
2. गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति (डीएसीपी) योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों से सहबद्धता के बिना, डॉक्टरों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर तक, समयबद्ध पदोन्नति शुरू की गई है।
3. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के डॉक्टरों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) का लाभ उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर तक बढ़ा दिया गया है।
4. डॉक्टरों को अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने और कैरियर उन्नति में सहायता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. मानक सरकारी भत्तों के अतिरिक्त, सीएचएस डॉक्टरों को विभिन्न विशिष्ट भत्ते भी दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
   o वार्षिक भत्ता
   o स्नातकोत्तर भत्ता
   o नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए)
   o वाहन भत्ता
6. उच्च अध्ययन हेतु अवकाश का प्रावधान करना, जिसमें शामिल है:
   o तीन वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद अध्ययन प्रयोजनों के लिए असाधारण अवकाश (ईओएल)।
   o मौजूदा नियमों के अनुसार, पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद अध्ययन अवकाश।
7. रिक्तियों की अधिसूचनाओं का व्यापक प्रसार करना तथा देश भर से अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर उपयोग।

जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है और भर्ती/नियुक्ति सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने समग्र संसाधनों के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

एनएचएम के तहत देश में स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के आवासीय क्वार्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता।
- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन प्रसूति करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जाँच और अभिलेखन सुनिश्चित करने हेतु एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू क्वोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलेपन सहित बातचीत से निर्धारित वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
- एनएचएम के तहत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
- एनएचएम के तहत विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को बहु-कौशल विकास के लिए सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

*****